<u>न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> <u>भिण्ड (म०प्र०)</u>

आपराधिक प्रक0क्र0-1375 / 15

संस्थित दिनाँक-26.12.15

.....अभियुक्त

_<u>-ः निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 21.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25—(1—ख) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.12.2015 को समय लगभग 09:40 बजे, हॉट लाईन फैक्टरी के पीछे मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन म0प्र0 राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/2/बी 1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में प्रतिबंधित आकार की लोहे की धारदार ब्लैड वाली वस्तु धारिया रखी, जो धारा 25—(1—ख) (ख) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्र0आर0 कल्याण सिंह तोमर दि0 25.12.2015 को थाना मालनपुर में पदस्थ थे। वे कस्बा मालनपुर में उक्त दिनांक को भ्रमण हेतु रवाना होकर हनुमान चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्हें मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति धारिया(बड़ी छुरी) लिए किसी अपराध को करने की नियत से घूम रहा है। सूचना की तश्दीक हेतु मय हमराह फोर्स के उक्त स्थान पर पहुंचे, वहां एक व्यक्ति धारिया लिए घूम रहा था, जिसे फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा और धारिया रखने का लाइसेंस पूछा तो लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का नाम पता पूछा, धारिया जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया, गिरफ्तारी पत्रक बनाया। थाना वापसी पर अपराध कमांक 212 / 15 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान कथन लेख किए गए। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।

- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.12.2015 को समय लगभग 09:40 बजे, हॉट लाईन फैक्टरी के पीछे मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन म0प्र0 राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/2/बी 1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में प्रतिबंधित आकार की लोहे की धारदार ब्लैड वाली वस्तु धारिया रख कर धारा 25—(1—ख) (ख) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया ?

_:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में संतोष शर्मा अ०सा० 1, प्रधान आरक्षक कल्यान सिंह अ०सा० 2, मुन्नालाल मौर्य अ०सा० 3 तथा रूपसिंह मरावी अ०सा० ०४ को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- 6. जप्तीकर्ता अधिकारी कल्यानसिंह अ०सा० 02 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 26.12.15 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 08 पर प्रविष्टि करके गए, हनुमान चौराहे पर उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति धारिया लिए हॉट लाईन फैक्टरी के पीछे खड़ा है। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु मय फोर्स के उक्त स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति धारिया लिए घूम रहा था, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा, उसकी तलाशी लेने पर धारिया मिला, उससे धारिया रखने का लाईसेंस पूछा तो लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त से मौके पर उक्त धारिया जप्त कर जप्तीपत्रक प्र०पी० 01 बनाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 02 बनाया था, जिन पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित होना बताते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त को मय माल के थाने पर लाये और वापसी होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्राथमिकी प्र०पी० 04 पर ए से ए भाग तथा बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं तथा न्यायालय में प्रस्तुत धारिया अभियुक्त से जप्त की गई धारिया के रूप में बताकर उसे आर्टिकल ए—1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
- 7. प्र0पी0 01 की जप्ती कार्यवाही का साक्षी संतोष शर्मा जो कि स्वतंत्र व्यक्ति बताया गया है, वह पुलिस कार्यवाही का कोई भी समर्थन नहीं करता है और पक्षद्राही होकर सूचक प्रश्नों में भी उसके समक्ष कोई धारिया जप्त किए जाने के तथ्य से इंकार करता है। अन्य साक्षी आरक्षक रूपिसंह हैं, जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी के कथनों का समर्थन करते हैं और अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के आधिपत्य में एक धारिया जप्त किए जाने के संबंध में समर्थन करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह

सुझाव लिया गया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उसे मिथ्या लिप्त किया जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य अभिलेख पर है कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से जप्ती होने का समर्थन नहीं किया गया है और जहां तक पुलिस साक्षीगण के अभिसाक्ष्य का प्रश्न है तो साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्ष्य के अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह आवश्यक है कि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य को भी सामान्य साक्ष्य की भांति ही विश्लेषण किया जाए।

- जप्तीकर्ता अ०सा० २ अपने अभिसाक्ष्य में थाने से रवाना होने का समय सुबह 8:00-08:15 08. का बताते हैं और रोजनामचा सान्हा में उसकी प्रविष्टि किया जाना भी बताते हैं। साथ में आरक्षक रूपसिंह का होना भी बताते है तथा थाने से मोटरसाईकिल से जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में बताते हैं । रूप सिंह अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में कंडिका 02 में थाने से करीब 09:00 बजे निकलना और उसके बाद फैक्टरी एरिया में जाना बताते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में यह साक्षी थाने से प्राईवेट वाहन कार द्वारा भ्रमण करने के संबंध में कथन करता है और यह भी कथन करता है कि उक्त गाड़ी को प्राईवेट चालक चला रहा था। इस प्रकार से दोनों ही साक्ष्यों द्वारा थाने से जाने के संबंध में अलग–अलग समय तथा अलग–अलग माध्यम बताया है, जो कि एक महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। रूपसिंह अ०सा० ४ स्वतंत्र साक्षी संतोष के संबंध में प्रतिपरीक्षण की कंडिका ०२ में बताता है कि संतोष अक्सर थाने पर रहता है इसलिए उसे वे जानते थे और कथन करते हैं कि संतोष शर्मा को उन्होंने हन्मान चौराहे से लिया था। कंडिका 03 में इस सुझाव से इंकार करते हैं कि साक्षी संतोष शर्मा घटना स्थल पर बाद में आया था, जबिक सतोष शर्मा अ०सा० ०१ ने पुलिस कथन प्र0पी0 03 में लहचूरा का पूरा जाते समय हॉट लाईन फैक्टरी के पीछे एक व्यक्ति को प्रधान आरक्षक एवं एक सिपाही द्वारा पकड़ा होने का तथ्य लेख है। ऐसे में गंभीर विरोधाभाष विद्यमान है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- 09. प्रकरण में जप्तीकर्ता कल्यान सिंह अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि उनके द्वारा अभियुक्त से मौके पर धारिया जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था और मौके पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 02 बनाया था, किंतु यदि जप्तीकर्ता अधिकारी की बात को सत्य माना जाए तो उसके द्वारा प्र०पी० 04 की प्राथमिकी का अपराध क्रमांक प्र०पी० 01 व प्र०पी० 02 में पहले से ही कॉलाम नं० 01 में दर्ज किया जाना एक संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है। जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में जप्तशुदा धारिया की लंबाई लगभग 02 फुट 02 इंच तथा लकड़ी के बेंट की लंबाई 07 इंच होना बताते हैं, जबिक जप्ती साक्षी रूपसिंह अ०सा० 04 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में उक्त धारिया की लंबाई अनुमानन 5—6 इंच की होना बताते हैं तथा

इसी कंडिका में कथन करते हैं कि धारिया में बेंट (पकड़ने का हत्था) नहीं लगा था। ऐसे में उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभाष अभिलेख पर मौजूद है।

- 10. प्रकरण में विवेचक मुननालाल मौर्य अ०सा० 03 हैं, जो अनुसंधान में साक्षियों के कथन लेख किया जाना बताते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में उन्हें केस डायरी के साथ कोई धारिया प्राप्त नहीं होने तथा धारिया उनके द्वारा मालखाने में जमा न किए जाने का कथन किया है। यह तथ्य स्वीकार किया है कि थाने के मालखाने का कोई भी नं0 अभियोगपत्र में उल्लेखित नहीं है। किसी भी साक्षी ने अभियकथित धारिया के धारदार वस्तु होने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है, जबिक अधिसूचना के अनुसार धारदार वस्तु जिसकी प्रतिबंधित, विनिर्दिष्ट आकार की लंबाई व चौड़ाई होने की दशा में ही अपराध प्रमाणित होता है, के संबंध में कथन नहीं किया गया है। विवेचक भी स्वीकार करते हैं कि धारिया जैसी वस्तु किसान व मांस विकेताओं के पास आसानी से उपलब्ध रहती है। ऐसी दशा में प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य में सारवान विसंगतियों पाई गई हैं।
- 11. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक दिनांक 26.12.2015 को समय लगभग 09:40 बजे, हॉट लाईन फैक्टरी के पीछे मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा की धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन मठप्रठ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/2/बी 1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में प्रतिबंधित आकार की लोहे की धारदार ब्लैंड वाली वस्तु धारिया रखी। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 13. प्रकरण में जब्तशुदा धारिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोडकर नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का 14. प्रमाणपत्र बनाया जावे।

WITHOUT AREIN FAREIN STATES AND STATES OF THE STATES OF TH

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

.1/-ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला मिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश